न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 11 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रोहिताश दत्तक पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 16 वर्ष जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर नाबालिग जरिये संरक्षक व चाचा नारायण सिंह पुत्र मगनसिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 सुमन कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

2 प्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करणी कॉलोनी बी.टी. स्कूल के पास कुचामन सिटी तहसील कुचामन जिला नागौर।

3 पटवारी पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

4 तहसीलदार धोद भूधारक।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ...

अधिकारी महोदय धोद मु0 नं0 37/2017 उनवानी रोहिताश बनाम सुमन कंवर वगैराह आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 05/01/2018

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री राजेश बेरवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.08.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा प्रार्थना पत्र इनका 37/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने धारा 212 आर.टी.ए का आवेदन भूमि खसरा नम्बर 624/558 रकबा 0.84 हैक्टेयर वाके ग्राम पालवास तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि कानूनन गोद पुत्र के आधार पर दावा व टी.आई. आवेदन पेश करने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

लिये रजिस्टर्ड गोदनामा होना आवश्यक नही है। खातेदार के खिलाफ भी अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जा सकती है तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने विवेचन नही किया है अत अपील स्वीकार रेस्पोडेंट को पाबंद किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि अपीलांट न तो गोद पुत्र है न खातेदार है न काबिज है न ही सक्षम न्यायालय से गोद पुत्र की घोषणा प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही कि है। अपील खारिज की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जिसमें अपने जवाब में अपीलांट को गोद पुत्र लेने इन्कार किया गया है। अपीलांट किसी भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से विवादित भूमि पर खातेदारी अथवा कब्जे को प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय की क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नही है फलतः विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है अत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर